की बेनामी सम्पत्तियां जब्त करने की शक्तियां इसे प्रदान करने वाला विधान अधिनियमित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) (क) से (ग) कुछ ऐसे अधिनियम मौजूद हैं, जिनमें कुछ निश्चित परिस्थितियों में सम्पत्ति की जब्ती के प्रावधान हैं जैसे—आतंकवादी तथा विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1987 तथा मादक द्रव्य एवं मनो-आवेशकारी पदार्थ अधिनियम, 1985 ।

भारत सरकार और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपराध (मुद्रा स्थानान्तरण संबंधी अपराध सहित) के साधन और अपराध से आय को तथा आतंकवादी फंड को जब्त करने के प्रावधान हैं। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद एक उपयुक्त कानून बनाना जरूरी होगा, जिससे इस द्विपक्षी समझौते के प्रावधानों को लागू किया जा सके ।

खाड़कू संगठनों, तस्करों और मादक द्रव्यों के व्यापारियों के बीच गठजोड़

942. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तस्करों, मादक द्रव्यों के व्यापारियों, हथियार बेचने वालों और खाड़कू संगठनों के बीच गठजोड़ की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) इस संबंध में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

Sale of liquer and Beer in Delhi

943. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that liquor and beer are sold by DSIDC in Delhi;

(b) what was the sale of liquor and beer during the last one year by DSIDC;

(c) the income earned by DSIDC from the sale of liquor and beer in Delhi during the above period; and

(d) the details of the increase in prices of liquor and beer during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) The sale of liquor and beer in the last one year by DSIDC was Rs. 5889.63 lakhs in 1991-92.

(c) The gross income earned by DSIDC from the sale of liquor and beer during 1991-92 was Rs. 261.62 lakhs.

(d) According to information received from the Excise Department, Delhi Administration, the increase in the price of liquor and beer during the period 1987-88 to 1991-92 was as under :

Liquor : 12% to 55% depending upon the brand;

Beer: 42% to 92% depending upon the brand.